भारत सरकार
खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय
लोक सभा
तारांकित प्रश्न सं. *38
04 फरवरी, 2020 को उत्तर देने के लिए

एग्रीटेक स्टार्टअप

***38. श्री कौशल किशोरः**

क्या **खाद्य प्रसंस्करण उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने एग्रीटेक स्टार्टअप को प्रोत्साहित करने के लिए कोई कदम उठाया है, जो देश में खाद्य उद्योग में बदलाव लाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकता है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या खाद्य उद्योग में सुधार और बदलाव लाने के लिए सरकार द्वारा कोई नई प्रौद्योगिकी नवोन्मेष और पहल प्रारंभ की जा रही है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

उत्तर

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री
(श्रीमती हरसिमरत कौर बादल)

(क) से (घ): विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है ।

"एग्रीटेक स्टार्टअप" के बारे में दिनांक 04.02.2020 को लोक सभा में पूछे जाने वाले तारांकित प्रश्न संख्या *38 के भाग (क) से (घ) के उत्तर में उल्लिखित विवरण ।

(क) और (ख): भारत सरकार ने कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के माध्यम से राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (आरकेवीवाई)-लाभदायी कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र पुनर्जीवन दृष्टिकोण (आरकेवीवाई-आरएएफटीएएआर) स्कीम के अंतर्गत वर्ष 2018-19 में एक नया घटक, "नवोन्मेष एवं कृषि उद्यमी विकास" शुरू किया है । यह आरकेवीवाई-आरएएफटीएएआर के लिए किए गए कुल वार्षिक परिव्यय के 8% से एग्री स्टार्टअप्स को प्रोत्साहन देती है । "नवोन्मेष एवं कृषि उद्यमी विकास" देश में भागीदारी करने वाले अकादमिक, तकनीकी, प्रबंधन एवं आरएंडडी संस्थानों के साथ पहले से उपलब्ध उद्भवन सुविधाओं और विशेषज्ञता के माध्यम से कृषि में उद्यम सृजन हेतु नवोन्मेषों और प्रौद्योगिकियों का लाभ उठाकर कृषि-व्यवसाय उद्भवन को सहायता देता है । नए एवं विद्यमान संस्थागत कृषि-व्यवसाय इन्क्यूबेटरों को अनुदान सहायता के रूप में वित्तीय सहायता देकर आवश्यकता के आधार पर सुदृढ़ बनाया जाता है ।

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग अपनी बीज सहायता निधि स्कीम के तहत प्रौद्योगिकी व्यवसाय इन्क्यूबेटर्स (टीबीआई) की स्थापना करने के लिए सहायता देती है जो नमोन्मेषी एवं ज्ञान आधारित स्टार्ट-अप्स को पोषित करती है । वे इंटरनेट ऑफ थिंग्स (आईओटी), बिग डाटा, क्लॉउड, मॉबिलिटी, डाटा एनॉलिटिक्स, डिजाइन नवोन्मेष इत्यादि को लेवरेज करने वाले नवोन्मेषी अनुप्रयोगों और अत्याधुनिक उपकरणों पर आधारित हैं ।

अटल इनोवेशन मिशन (एआईएम), नीति आयोग नए और विद्यमान इन्क्यूबेशन केंद्रों की स्थापना को सहायता दे रहा है जिसमें एग्रीटेक तथा फूडटेक स्टार्ट-अप्स के लिए सहायता शामिल है ।

(ग) और (घ): खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय (एमओएफपीआई) अपनी अनुसंधान एवं विकास स्कीम के अंतर्गत खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में नए प्रौद्योगिकीय नवोन्मेषों को प्रोत्साहन देता है । विभिन्न विश्वविद्यालय, आईआईटीज, केंद्र/राज्य सरकार के संस्थानों, सरकार द्वारा वित्त-पोषित संगठनों, आरएंडडी प्रयोगशालाओं और निजी क्षेत्र में सीएसआईआर की मान्यता प्राप्त आरएंडडी यूनिटों को उत्पाद एवं प्रक्रिया विकास, उपकरणों की डिजाइन एवं विकास, उन्नत भंडार, शेल्फ-लाइफ, पैकेजिंग इत्यादि के लिए खाद्य प्रसंस्करण के क्षेत्र में अनुसंधान एवं विकास कार्य करने के लिए 51 करोड़ रुपए तक की वित्तीय सहायता दी जा चुकी है । खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के अधीन दो खाद्य प्रौद्योगिकी संस्थानों अर्थात भारतीय खाद्य प्रसंस्करण प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईएफपीटी) और राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी, उद्यमशीलता एवं प्रबंधन संस्थान (निफ्टेम) ने भी मोटे अनाज आधारित उत्पादों, कटहल के अपशिष्ट से खाद्य भोज्य पदार्थ, फसलोत्तर प्याज प्रसंस्करण मशीनों (छोटे प्याज), रेडियो फ्रीक्वेंसी (आरएफ) स्टैरीलाइजर और कृषि अपशिष्ट का प्रयोग करते हुए जैवनिम्नीकरण खाद्य पैकेजिंग सामग्री जैसे उत्पादों के लिए नए उत्पादों एवं प्रौद्योगिकियों का विकास किया है ।

*****